छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

दि हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय – रायपुर
फोन नम्बर – 0771–4066211, 4066213

कमांक/स्थापना/2016/993

रायपुर, दिनांक 02/09/16

विज्ञापन

खरीफ उपार्जन वर्ष 2016–17 में निगम को उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 08 माह के लिए 27 गुणवत्ता परीक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु अर्हता/योग्यता न्यूनतम बी.एस.सी. स्नातक (एग्रीकल्चर अथवा बॉटनी में उत्तीर्ण) एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।

इच्छुक प्लेसमेंट एजेंसियां दिनांक 30.09.2016 सायं 4.00 बजे तक अपना ऑफर प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विवरण हेतु कार्यालय में सम्पर्क करें।

विज्ञापन WWW.cgstate.gov.in वेबसाइट पर भी प्रकाशित है।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

दि हितवाद परिसर, अवंति विहार कालोनी, मुख्यालय – रायपुर

कमांक/स्था./2016/993 रायपुर, दिनांक 02/09/16

विज्ञापन

निगम के व्यापार में गुणवत्ता परीक्षण कार्य में दक्ष मानव संसाधन व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिस हेतु निम्नानुसार नियम/शर्तें होगी :–

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों पर खाद्य सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु 27 व्यक्ति उपलब्ध कराये जायेंगे। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती है।
2. प्रथमतः बिन्दु कमांक–1 में उपलब्ध कराये जा रहे मानव संसाधन की सेवाएं 08 माह के लिए होगी, जिसे समान शर्तो पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
3. निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराये जा रहे मानव संसाधन की किसी भी कारण से हो रही अनुपस्थिति पर सेवा प्रदाता का दायित्व होगा कि वह अर्हता के अनुरूप वैकल्पिक रूप से मानव संसाधन उपलब्ध करायेगा।
4. सेवा प्रदाता द्वारा कार्यरत सेवकों की पी.एफ., ई.एस.आई.सी., सर्विस टैक्स/आयकर आदि के पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
5. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा।
6. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में मानव संसाधन की सेवाएं उपब्ध कराने के अंतर्गत लागू सभी नियमों का पालन किया जायेगा तथा इन पर होने वाले व्यय के आधार पर ही सेवा प्रदाता द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की जायेगी।
7. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय मानव संसाधन की शासन द्वारा समान तकनीकी कार्य के लिए देय दरें देना बंधनकारी होगा। छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय–रायपुर के पत्र क. 297/एल 2015–71–00388/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 23 सितम्बर 2015 के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक 10612/– देय होगा।
8. सेवा प्रदाता की सेवाएं एक माह के अग्रिम सूचना पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति मान्य नहीं की जावेगी।
9. बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
10. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे।

वास्ते/–
प्रबंध संचालक